bills being inflated showing unusually large number of calls, not made by the subscribers;

(b) how many such cases relating to the levels of 71 and 72 are presently pending with the department, separately;

(c) what are the reasons for which the details of the metered calls have not been supplied by the department; and

(d) what remedy is available to the subscribers in the event of their telephone lines being misused by the linemen or other technicians of the Department from the telephone exchange/board/boxes of lines?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) to (d) The required information has been called for and will be laid on the Table of the House.

Applicants for Cellular Mobile telephones in Delhi

6133. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the number of applications received in the capital for booking of cellular mobile telephone service;

(b) the earnest money received as a result of these booking; and

(c) the reaction of Government therein?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) This information is not maintained by the Government.

(b) and (c) Does not apply in the view of above.

गाजियाबाद में एस.टी.डी. पी.सी.ओ. हेतु बिल बनाने संबंधी प्रणाली

6134. श्री ईश दत्त यादव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाप्रबंधक, दूरसंचार विभाग, गाजियाबाद के कार्यालय के अंतर्गत कितने एस.टी.डी./पी.सी.ओ. कार्यरत हैं और इस कार्यालय द्वारा कितने पी.सी.ओ के बिल जारी किये जाते हैं और ये कितनी अवधि के होते हैं तथा इन्हें एस.टी.डी./पी.सी.ओ. प्रचालकों को किस प्रकार उपलब्ध कराया जाता है;

(ख) क्या ऐसे प्रचालकों को हर 15 दिन बाद कार्यालय से बिल ले जाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार दिल्ली और अन्य स्थानों की तरह कोरियर सर्विस द्वारा बिल भेजने की प्रणाली शुरु करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्या सरकार बिलों की सुपुर्दगी के लिए इस विभाग की ही कोई अन्य प्रणाली कार्यान्वित करेगी;

(घ) बिल जारी करने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली कब तक आरम्भ की जायेगी; और

(ङ) सरकार ऐसे प्रचालकों को प्रत्येक बिल के साथ कॉलों का ब्यौरा कब तक उपलब्ध कराना शुरु करेगी?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) महाप्रबंधक गाजियाबाद के अधीन 672 एसटीडी/पीसीओ काम कर रहे हैं। बिल पखवाड़ा आधार पर जारी किए जाते हैं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) दो माह के भीतर।

(ङ) मार्च 95 से प्रत्येक बिले के साथ कॉलों का विवरण दिया जा रहा है।

जशपुर शहर को आप्टिकल फाइबर लाइन से जोड़ना

6135. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जशपुर शहर में समुचित दूरसंचार सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से

जशपुर शहर को "आप्टिकल फाइबर केबल लाइन" से जोड़ने हेतु स्वीकृति कब दी गई थी और इस प्रयोजनार्थ कितनी धन-राशि स्वीकृत की गई थी तथा किस तारीख को स्वीकृत की गई थी;

(ख) उपर्युक्त लाइनें बिछाने हेतु वास्तविक कार्यवाही कब आरम्भ की गई और इस संबंध में वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ग) उपर्युक्त कार्य को पूरा करने और जशपुर शहर को उक्त केबल लाइनों से जोड़ने के संबंध में किस तारीख का लक्ष्य रखा गया था; और

(घ) अक्टूबर, 1994 की स्थिति के अनुसार इस संबंध में हुई वास्तविक प्रगति का ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम): (क) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में जशपुर शहर को समुचित दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, 1996-97 के लिए एक आप्टिकल फाइबर स्कीम अर्थात बिलासपुर-रायगढ़-जशपुर नगर स्कीम बनाई गई है। परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी अभी ली जानी है।

(ख) आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य अभी शुरू नहीं किया गया है और इसलिए इस पर अभी कोई धनराशि खर्च नहीं हुई है।

(ग) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आप्टिकल फाइबर केबल स्कीम को वर्ष 1996-97 की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है।

(घ) अक्तूबर, 1994 में कार्य शुरु नहीं किया गया था।

Reviewing the benefit of C-DOT

6136. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government are reviewing the C-DOT;

(b) whether C-DOT is economically feasible in view of the entry of telecom companies from abroad;

(c) the fund invested in C-DOT and returns from C-DOT in 1994-95;

(d) whether Government would find ways to control expenditure so as to reduce telecom charges on the public; and

(e) what measures Government propose to review all money-losing propositions in Telecom Sector?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir, Government is periodically reviewing the progress of R&D activities of C-DOT.

(b) Yes, Sir.

(c) An amount of Rs. 28 crores was given as grants to C-DOT during 1994-95 by the Government. During 1994-95, C-DOT received Rs. 2.32 crores as Transfer of Technology fee and Rs. 7.61 crores as Royalty.

(d) Every effort is being made to control and bring down expenditure. There is no plan to reduce telecom charges presently.

(e) The decision to sanction a loss making project is a conscious one made after weighing the socio-economic benefits flowing from such projects against the costs (losses incurred). The example is the provision of Telecommunication network in rural, remote and hilly areas.

Commission to Stamp Vendors

6137. SHRI JANARDAN YADAV: will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that stamp vending private agencies are being paid Commission @ 2% for sale of stamps and postal stationery;

(b) whether the Postal Department had also introduced incentive scheme for sale of stamps and postal stationery at the counters of stamps vendors/ED stamps vendors in the Post Offices and RMS Offices;

(c) if so, the details of such incentive schemes;

(d) the reasons for limiting incentive money to the ceiling of 33⅓% of emoluments of stamp vendors; and

(e) whether Government propse to give incentive money at par with the commission paid to the private postal agencies?